FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0271 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/09/2026 17:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/09/2026 **Date To (दिनांक तक):** 22/09/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/09/2026 17:53:16 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARAYALY SAHAYAK ABHIYANTA A-2,JAIPUR DISCOM, HINDAUN CITY JILA KAROLI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** B P SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DESHRAJ SINGH JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHEEPKAPURA, SUROTH, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHEEPKAPURA, SUROTH, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAGDISH BAIRWA		पिता:HARIRAM BAIRAWA	1. CHULI ROAD NAYAPURA,GANGAPURCITY,SAWAI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली विषय-बिजली विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत महोदय निवेदन है कि मेरे नाम से गांव खीपकापुरा में घरेलू बिजली कनैक्शन है जिसके खाता संख्या 16290165 है उक्त कनेक्शन का ट्रांसफार्मर दिनांक 06.09.2026 को जल गया जिसके बारे में मैने बिजली विभाग की जेईएन मनीषा को सूचित कर ट्रांसफार्मर को दिनांक 08.09.2026 को बिजली विभाग के स्टोर में जमा करवा दिया। मैंने आज जेईएन मनीषा को दूसरा ट्रांसफार्मर देने हेतु निवेदन किया तो उसने कहा कि मैं आपके ट्रांसफार्मर की फैलीयर रिपोर्ट बना देती हूं आप स्टोर से दूसरा ट्रांसफार्मर ले जाना। मैने फैलीयर रिपोर्ट बिजली विभाग हिण्डौन के स्टोर कीपर श्री जगदीश को देकर दूसरा ट्रांसफार्मर इश्यु करने को कहा तो उसने कहा कि 9000 हजार रूपये दे जा और ट्रांसफार्मर ले जा। मैं मेरे पास रूपये नही होने का बहाना बना कर वहां से आ गया। मैं ऐसे भ्रष्ट बिजली विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। उनको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी-बीपी सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी खीपकापुरा तहसील व थाना सूरौठ जिला करौली मो. नं.· दिनांक 14.09.2026 हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली 14.09.2026 हस्ता. स्वतंत्र गवाह-मनोज कुमार मीणा व हरिसिंह मीणा दिनांक 16.09.2026-कार्यवाही पुलिस- प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 14.09.2026 को समय 04.00 पीएम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी करौली पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड व बिजली कनैक्शन खाता संख्या- 16290165 का बिल माह सितम्बर 2026 फेलियर रिपोर्ट दिनांक 14.09.2026 व जले हुये ट्रांसफार्मर को जमा कराने की रसीद संख्या-4529 की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिजली विभाग हिण्डौन सिटी के स्टोर कीपर जगदीश को रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से मुझ पुलिस निरीक्षक को पेश की है। चॅूकि चौकी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि-मेरी स्टोर कीपर जगदीश से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रूपये पैसे का लेन-देन बकाया है मै यह कार्यवाही किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से वैद्य कार्य को करने में रिष्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं पेश दस्तावेजों एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर समय 04.30 पी.एम पर परिवादी बीपी सिंह को संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि अब समय काफी हो गया है और मै जब तक रीको हिण्डौन सिटी में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचुंगा तो कार्यालय बन्द हो जायेगा तथा संदिग्ध आरोपी स्टोर कीपर जगदीश भी कार्यालय से चला जायेगा वह कल दिनांक 15.09.2026 को 10 बजे के बाद अपने कार्यालय में मिलेगा जिससे रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो जायेगी मैं कल दिनांक 15.09.2026 को सुबह 10 साढे 10 बजे हिण्डौन सिटी में ओवरब्रिज के नीचे रूप होटल के सामने आपके कर्मचारी को मिल जाउंगा और सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी का श्री भीकम सिंह कानि. 363 व श्री राकेश सिंह कानि. 268 से आपसी परिचय करवाया जाकर आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी के सामने कार्यालय की आलमारी से विभागीय पेनड्राईव नुमा वाईस रिकार्डर व नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी निकालकर परिवादी एवं दोनो कानिस्टेबलगणों को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उक्त पेनड्राईव नुमा वाईस रिकार्डर व नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया व परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 15.09.2026 को समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री बीपी सिंह की संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश स्टोर कीपर विधुत विभाग हिण्डौन सिटी से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड हेतु कार्यालय आलमारी से विभागीय पेनड्राईव नुमा वाईस रिकार्डर व नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी निकालकर तथा वाईस रिकॉर्डर में उक्त नये सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड को डालकर चालू कर मैमोरी कार्ड में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर श्री भीकम सिंह कानि. नं. 363 को वाईस रिकार्डर चालू तथा बन्द

करने का तरीका बताकर कार्यालय के श्री अजय कुमार एएसआई व श्री राकेश सिंह कानि 268 को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी बीपी सिंह के कथनानुसार गन्तव्य स्थान कस्वा हिण्डौन सिटी में ओवरब्रिज के नीचे रूप होटल के सामने 10.11 बजे के आस पास पहुचकर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी बीपी सिंह से सम्पर्क कर उसको हमराह लेकर हिण्डौन सिटी में विधुत विभाग कार्यालय के पास पहुंचकर विभागीय वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं वाईस रिकॉर्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर के पास विधुत विभाग कार्यालय हिण्डौन सिंटी भेजकर संदिग्ध आरोपीं स्टोर कीपर द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन संबंधी वार्ता करवाकर बाद सत्यापन विभागीय वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित होने की हिदायत देकर श्री भीकम सिंह कानि0 को मय वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड सहित हमराह राकेश सिंह कानि0 268 के कार्यालय से समय करीब 09.30 एएम पर सरकारी मोटरसाईकिल नं. आरजे 14 एलबी 4230 से रवाना हिण्डौन सिटी किया गया जो समय 02.00 पी.एम पर जरिये सरकारी मोटरसाईकिल उपस्थित कार्यालय आये तथा भीकम सिंह कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै और राकेश सिंह कानि0 कार्यालय से रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क रखते हुये हिण्डौन सिटी रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के नीचे रूप होटल के पास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री बीपी सिंह अपनी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला जिसने बताया कि स्टोर कीपर जगदीश कार्यालय में नहीं है वह स्वयं की मामी का स्वर्गवास हो जाने से आज की छुट्टी पर है वह कल दिनांक 16.09.2026 को कार्यालय में आयेगा जिससे कल ही रिश्वत मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता हो जायेगी उक्त के संबंध में आपको जरिये दूरभाष अवगत कराया जाकर आपके निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 16.09.2026 को हिण्डौन सिटी रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के नीचे रूप होटल के पास मिलने हेतु पाबन्द कर रूकसत कर हम दोनो हिण्डौन से रवाना होकर आये है। श्री राकेश सिंह कानि. 268 ने पूछने पर श्री भीकम सिंह कानि. के कथनों की ताईद की। श्री भीकम सिंह कानि. से वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित समय 02.30 पीएम पर प्राप्त कर चैक कर उसमें कोई वार्ता रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर वाईस रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। फर्द वापसी वाईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 16.09.2026 को समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री बीपी सिंह ने दूरभाष से कार्यालय के गोपेन्द्र सिंह कानि0 के जरिये मन पुलिस निरीक्षक को सूचना दी कि संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर छुट्टी से अपनी डयूटी पर अपने कार्यालय में आ गया है और आज वह कार्यालय में ही मिलेगा जहां पर उससे रिश्वत मांग संबंधी वार्ता हो जायेगी आप अपने कार्यालय के भीकम सिंह को वाईस रिकार्डर देकर हिण्डौन सिटी में भिजवा दें जिस पर समय करीब 09.40 एएम पर कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर उसमें नया सैल एवं नया सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड डालकर चालू कर वाईस रिकार्डर एवं मैमोरी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर श्री भीकम सिंह कानि0 नम्बर 363 चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर कार्यालय के श्री अजय कुमार एएसआई व श्री राकेश सिंह कानि0 को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी बीपी सिंह के कथनानुसार गन्तव्य स्थान कस्वा हिण्डौन सिटी में ऑवरब्रिज के नीचे रूप होटल के सामने 11 साढे 11 बजे के आस पास पहुचकर पूर्व से एवं आज हुई वार्तानुसार पाबन्द शुदा परिवादी बीपी सिंह से सम्पर्क कर उसको हमराह लेकर हिण्डौन सिटी में विधुत विभाग कार्यालय के पास पहुंचकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर के पास विधुत विभाग कार्यालय हिण्डौन सिटी भेजकर संदिग्ध आरोपी स्टोर कीपर जगदीश द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन संबंधी वार्ता करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय करीब 10.16 एएम पर जरिये सरकारी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे-14 एलबी 4230 रवाना किया गया। इसके बाद समय 12.33 पीएम पर रवाना शुदा श्री भीकम सिंह कानि. 363 व श्री राकेश सिंह कानि. 268 ने जरिये व्हाटस-एप कॉल मन पुलिस निरीक्षक को रिश्वत मांग सत्यापन होने बाबत अवगत कराया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भीकम सिंह व राकेश सिंह कानि0 को मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् तहसीलदार करौली के नाम तहरीर क्रमांक 1111 दिनांक 16.09.2026 जारी कर श्री केशव देव शर्मा कानि0 नम्बर 600 को तहसील कार्यालय करौली रवाना किया गया जो समय करीब 02.10 पीएम पर तहसील कार्यालय करौली से दो कार्मिक श्री मनोज कुमार मीणा व श्री हरि सिंह मीणा को मय पाबन्दी तहरीर क्रमांक 213 दिनांक 16.09.2026 सहित साथ लेकर आया जिनसे उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपने नाम पते क्रमशः मनोज कुमार मीना पुत्र श्री रमनलाल मीना उम्र 34 वर्ष निवासी कालाखाना थाना सदर हिण्डौन जिला करौली हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय करौली व हरी सिंह मीणा पुत्र स्व0 श्री कलुवाराम मीणा उम्र 43 वर्ष निवासी रूंधका पुरा (आगर्री) थाना सदर करौली हाल निवास स्टेडियम के सामने करौली हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय उप पंजीयक करौली होना बताया जिन्हें कार्यवाही से अनभिज्ञ

रखते हुये कार्यालय के अलग कमरे में बैठाया गया। इसके बाद समय 02.25 पीएम पर पूर्व से रवाना शुदा श्री भीकम सिंह कानि. 363 व श्री राकेश सिंह कानि. 268 मय परिवादी बीपी सिंह के जरिये सरकारी/प्राईवेट मोटरसाईकिल के उपस्थित कार्यालय आये तथा परिवादी श्री बीपी सिंह ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने आरोपी जगदीश स्टोर कीपर की विधुत विभाग कार्यालय हिण्डौन सिटी में उपस्थिति के बारे में जानकारी की तो उसके कार्यालय में होने की जानकारी मिली जिस पर मेरे द्वारा आपको जरिये गोपेन्द्र सिंह कानि0 अपने कर्मचारी भीकम सिंह को वाईस रिकार्ड सहित मेरे पास हिण्डौन सिटी में ऑवरब्रिज के नीचे रूप होटल के सामने भिजवाने को जरिये व्हाटस-एप कॉल किया इसके बाद समय करीब 12.02 पीएम के आस पास मुझे मेरे कहे अनुसार आपके कर्मचारी भीकम सिंह व राकेश सिंह हिण्डौन सिटी में ऑवरब्रिज के नीचे रूप होटल के सामने मिल गये इनको मैने बताया कि आरोपी स्टोर कीपर जगदीश विधुत कार्यालय हिण्डौन सिटी पर है जिस पर भीकम सिंह कानि0 ने अपने पास से वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मुझसे मेरा नाम एवं वाईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता बुलवाकर उसे रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दिया था जो मैने चालू हालत में अपने गले की माला में बांध कर गले में लटका लिया उसके बाद मै वाईस रिकार्डर सहित अपनी मोटरसाईकिल से आरोपी जगदीश स्टोर कीपर के पास रीको स्थित विधुत विभाग कार्यालय हिण्डौन सिटी के लिये रवाना हो गया तथा मेरे पीछे पीछे भीकम सिंह भी अपने मोटर साईकिल से रवाना हो गये थे तथा राकेश सिंह जी वहीं पर खडे रहे। मै विधुत विभाग कार्यालय हिण्डौन सिटी पहुंचा तथा भीकम सिंह भी मेरे पीछे पीछे आ गये और विधुत विभाग कार्यालय के बाहर अपनी मोटरसाकिल सहित खडे हो गये, मै अपनी मोटरसाईकिल विधुत विभाग कार्यालय परिसर में खडी कर कार्यालय के अन्दर स्टोर में गया तो जगदीश स्टोर कीपर मुझे मिले गये जिनसे मैने अपने जले हुये ट्रासफार्मर के बदले नया ट्रांसफार्मर दिये जाने के संबंध में वार्ता की तो वे मुझे स्टोर से बाहर कार्यालय परिसर में लेकर आये और वहां पर लीगल-अनलीगल संबंधी वार्ता करते हुये वापस अपने कार्यालय में लेकर आये और वहां पर उन्होने नया ट्रासफार्मर देने के बदले में मुझसे 9 हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे निवेदन करने पर 8 हजार रूपये लेने पर अपनी सहमति दी मेरे पास 1 हजार रूपये होने तथा देने के लिये उन्हें कहा तो उन्होने नहीं लिये मेरे व स्टोर कीपर जगदीश के बीच में जो रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई उसे वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और बातचीत करने के बाद मै विधुत विभाग कार्यालय से बाहर परिसर में आया और अपनी मोटरसाईकिल लेकर भीकम सिंह जी को अपने पीछे आने का ईशारा कर ऑवरब्रिज के पास आकर खडा हो गया भीकम सिंह भी मोटरसाईकिल से मेरे पास आ गये तथा राकेश सिंह भी वहीं पर मौजूद थे जहां पर मैने वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित चालू हालत में भीकम सिंह को दे दिया जिसे बन्द कर भीकम सिंह ने अपने पास रख लिया फिर मैने भीकम सिंह को जगदीश स्टोर कीपर से हुई रिश्वत मांग संबंधी सभी बातें बता दी और यह भी बता दिया कि जो व्यक्ति कार्यालय परिसर में आकर मुझसे बातें कर रहा था वहीं जगदीश स्टोर कीपर था। फिर आपके इन कर्मचारियों ने रिश्वत मांग सत्यापन होने के बारे में आपको दूरभाष के जरिये अवगत करा दिया था उसके बाद हम तीनों हिण्डौन सिटी से अपनी अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर आये है। इस पर भीकम सिंह ने पूछने पर परिवादी के कथनों की ताईद करते हुये स्वयं के द्वारा परिवादी व संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर के मध्य विधुत विभाग परिसर में वार्ता होते हुये देखना बताया तथा राकेश सिंह द्वारा स्वयं के सामने हिण्डौन सिटी में परिवादी को भीकम सिंह द्वारा वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करना एवं बाद वार्ता प्राप्त करना बताया। इस पर समय 03.00 पीएम पर श्री भीकम सिंह कानि0363 से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित गवाह श्री अजय कुमार एएसआई व राकेश सिंह कानि0 के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप तोसीबा की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंशों को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर द्वारा परिवादी से उसके जले हुये विधुत ट्रासफार्मर के बदले नया विधुत ट्रासफार्मर देने के बदले में स्वयं के लिये 9000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के निवेदन पर 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना स्पष्ट पाया गया है परिवादी ने बताया कि स्टोर कीपर कल दिनांक 17.09.2026 को पैसे लेगा। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया और समय 03.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित गवाहान श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक व श्री हरि सिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर को अपने कक्ष में बुलाकर उनसे मन पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की स्वीकृति चाही तो दोनो ने अपनी अपनी स्वयं की स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी तत्पश्चात दोनो गवाहों का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री बीपी सिंह से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 14.09.2026 व उसके साथ पेश दस्तावेजों को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। इसके बाद समय 03.45 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री बीपी सिंह के सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी बीपी सिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश स्टोर कीपर के मध्य आज दिनांक 16.09.2026 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक की आलमारी में निकालकर उसे लेपटॉप तोसीबा कम्पनी में लगाकर चलाकर सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड कार्ड के फाईल फोल्डर-01.260916.001 में रिकार्ड

रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री केशव देव शर्मा कानि0 नम्बर 600 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशवदेव शर्मा कानि0 नम्बर 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-ए-1 न्यायालय प्रति एवं मुलजिम प्रति मार्क-ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 में संग्रहित करवाई जाकर वाईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवों को पैनड्राईव कबरों में सुरक्षित रख कवर के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ता के मूल सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको कवर में रखकर उसे सुरक्षित कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड एवं डब पैनड्राईवों की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा बजह सबूत सीव्ड पैनड्राईव मार्क-ए-1, ए-2 एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क-ए को मालखाना प्रभारी सुमेर सिंह हैड कानि0 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर दिनांक 17.09.2026 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर साथ ही दोनो गवाहों को भी उपर्युक्त समय पर उपस्थित होने एवं मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर समय 07.00 पीएम पर रूकसत किया गया तथा समस्त स्टाफ को नियत समय पर हाजिर कार्यालय होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 17.09.2026 को समय 08.10 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार मीना वरिष्ठ सहायक व श्री हरी सिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया इसके बाद समय09.10 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री बीपी सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि वह आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 8000 रूपये का इन्तजाम कर साथ लेकर आया है तत्पश्चात समय 09.20 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री बीपी सिंह ने मांगने पर आरोपी श्री जगदीश स्टोर कीपर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8000-रूपये अपने पास से निकालकर पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर पेशशुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर टेबिल के उपर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 8000-रूपये के नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री बीपीसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई जिसमें उसके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 8000-रूपये के नोट परिवादी श्री बीपी सिंह के बदन पर पहने हुए पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा रिश्वत राशि देने से पहले व बाद में आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहो को यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करने की हिदायत दी गई तथा साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री हरिसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर से कार्यालय में रखे ट्रेप बाक्स मे से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल साफ गिलास निकलवाकर कार्यालय मे से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री हरिसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर व गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को कार्यालय लेटबाथ में डलवाया गया और काम में लिये गये अखबार एवं प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट

करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री बीपीसिंह तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये तथा परिवादी को छोडकर सभी की आपस में तलाशी लिवाई गई जिसमें किसी के पास पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन चम्मच प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों आदि सामान को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा साथ ही स्टोर प्रभारी श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 से खाली नये सैंडिस्क 32 जीबी पैनड्राईवों को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी स्टोर कीपर जगदीश से होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया 16 जीबी मैमोरी कार्ड लगाकर तथा खाली होना सुनिष्चित कर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया एवं श्री भीकम सिंह कानि0 नम्बर 363 को मौका स्थिति अनुसार वाईस रिकार्डर परिवादी के आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 10.30 एएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को सैम्पू साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री बीपी सिंह को उसके द्वारा लाई हुई मोटर साईकिल से श्री भीकम सिंह कानि. नं. 363 सहित बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री समय सिंह हैड कानि0 नं. 45 को मय जाप्ता के श्री विष्णु सिंह कानि. 135 श्री राकेश सिंह कानि0 268 श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0277 श्री केशवदेव शर्मा कानि0 नं. 600 मय सरकारी बीडीयो कैमरा एवं स्वतंत्र गवाह हरीसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर के आमदा प्राईवेट टैक्सी वाहन बोलेरो से मय प्राईवेट चालक के रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक एवं श्री अजय कुमार एएसआई व सुमेर सिंह हैड कानि070 को मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर आदि सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय बृजेश कुमार मीणा कानि. चालक 562 के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही हिण्डौन सिटी के लिये रवाना हुआ कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 11.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्वा हिण्डौन सिटी में ऑॅवरब्रिज के नीचे से होकर रेल्वे स्टेशन के पीछे रीको की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंचा जहां पर पूर्व से रवाना शुदा परिवादी एवं भीकम सिंह कानि0 363 मोटरसाईकिल सहित एवं समय सिंह हैड कानि0 45 मय जाप्ता के प्राईवेट टैक्सी वाहन मय चालक सहित खडे मिले वहीं पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को खडा करवाकर समय करीब 11.40 एएम पर परिवादी को उसके पास पूर्व से सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर भीकम सिंह कानि0 के जरिये चालू करवाकर उसे उसकी मोटरसाईकिल से संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर के पास रीको स्थित कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के लिये रवाना किया तथा उसके पीछे पीछे श्री भीकम सिंह कानि0 एवं हैड कानि0 सुमेर सिंह व स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार मीणा एवं श्री केशव देव शर्मा कानि0 को पैदल-पैदल रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह श्री हरी सिंह मीणा व शेष स्टाफ आदि सामान सहित जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के मय चालकों के रवाना हुआ और समय 11.50 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रीको ऐरिया स्थित कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी से पहले पहुंचा और सरकारी वाहन को एक मकान के पास तथा कुछ फासले पर प्राईवेट वाहन को खडा करवाया जाकर सरकारी वाहन में चालक को छोडकर मन पुलिस निरीक्षक मय अजय कुमार एएसआई के वाहन से उतर कर पास ही स्थित एक पत्थर की गेंगसा पर पत्थर क्रय करने का बहाना बनाते खडा हो गया तथा अन्य पार्टी सदस्यों को प्राईवेट वाहन में बाद हिदायत छोडा गया इसी दौरान परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से हमारे सामने से होकर रीको स्थित कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के गेट से होकर अन्दर चला गया तथा उसके पीछे पीछे भीकम सिंह एवं सुमेर सिंह हैड कानि0 व स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार मीणा व केशवदेव कानि0 चले गये और विधुत विभाग कार्यालय के आस पास अपने आपको छिपाते हुये खडे हो गये जो स्पष्ट दिखाई दे रहे है तथा सभी का आपस में सम्पर्क है तथा अब बस परिवादी के अगले ईशारे का इन्तजार है। इसके बाद समय 11.55 एएम पर परिवादी बीपी सिंह कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के अन्दर से बिना ईशारा किये मोटरसाईकिल से बाहर रोड पर आया और ऑॅवरब्रिज की तरफ चलकर रोड के साईड में खडा हो गया जिसके पीछे पीछे भीकम सिंह भी चला गया और परिवादी से बातें करने लगा तत्पश्चात समय 11.57 एएम पर भीकम सिंह कानि0 ने जरिये व्हाटस-एप कॉल कर मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी ने विधुत विभाग कार्यालय के अन्दर से बाहर आकर बताया है कि एईएन कार्यालय के स्टोर रूम का लॉक लगा हुआ है संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर कार्यालय में नहीं है तथा एईएन कार्यालय खुला है अन्य काफी स्टाफ भी नहीं है कुछ कर्मचारी है जिन्होने पूछने पर बताया है कि आज विश्वकर्मा जयन्ती है इसलिये कुछ स्टाफ आया और आकर चला गया है आज विश्वकर्मा जयन्ती होने से कुछ कार्य नहीं हो रहा है तथा जगदीश स्टोर कीपर भी नहीं आये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भीकम सिंह कानि0 को परिवादी की संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर से उसकी लोकेशन जानने के लिये फोन कराने एवं होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने की हिदायत दी गई तत्पश्चात समय 12.08 पीएम पर श्री भीकम सिंह

कानि0 ने जरिये कॉल मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी बीपी सिंह ने अपने मोबाईल फोन से जगदीश स्टोर कीपर के मोबाईल फोन पर कॉल किया तो घंटी जाने के बाद उसने कॉल रिसिव नहीं किया है और अब उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। इस पर भीकम सिंह कानि0 को मय परिवादी के तथा अन्य रवाना शुदा स्टाफ/गवाह को ऑवरब्रिज के नीचे पहुंचने की हिदायत देकर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता/गवाह के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर ऑवरब्रिज के नीचे पहुंचा जहां पर भीकम सिंह मय परिवादी के तथा अन्य जाप्ता खडा मिला वहीं पर वाहनों को खडा करवाया गया जहां पर परिवादी ने विश्वकर्मा जयन्ती होने से संदिग्ध आरोपी जगदीश स्टोर कीपर का कार्यालय में नहीं आना तथा फोन मिलाने पर घंटी जाने के बाद फोन नहीं उठाना और फिर अब उसका फोन नहीं मिलना बताया उसके कुछ समय के बाद परिवादी से आरोपी जगदीश स्टोर कीपर को कई बार कॉल करवाये किन्तु उसका फोन नहीं मिला इस पर परिवादी ने बताया कि आज विश्वकर्मा जयन्ती होने से जगदीश स्टोर कीपर का कार्यालय में आना संभव नहीं है वह कल दिनांक 18.09.2026 को कार्यालय में मिलेगा। इस पर दिनांक 18.09.2026 को अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर परिवादी से सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर प्राप्त कर चैक किया तो उसमें असम्बन्धित वार्ता एवं मोबाईल पर घंटी जाने की आवाज रिकार्ड मिली के अलावा अन्य कोई वार्ता रिकार्ड नहीं मिली वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बीपी सिंह की पैन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखी हुई पाऊडर युक्त नम्बरी राशि 500-500 रूपये 16 नोट कुल 8000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा से निकलवाकर चैक कराकर उक्त राशि को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 को देकर उसके पास सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी श्री बीपी सिंह को दिनांक 18.09.2026 को समय 10 साढे 10 बजे कस्वा हिण्डौन सिटी में ऑवरब्रिज के नीचे उपस्थित मिलने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर मय मोटरसाईकिल के रवाना किया जाकर समय 01.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप बॉक्स आदि सामान/सामग्री के लेकर हिण्डौन सिटी से रवाना होकर समय 02.00 पीएम पर ए0सी0बी0 चौकी करौली हाजिर आया तथा ट्रैप बॉक्स व लेपटॉप प्रिन्टर बीडीयो कैमरा को कार्यालय में रखवाया गया एवं पाउडर युक्त नम्बरी रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000 रूपयों को लिफाफे सहित श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70 से कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनों गवाहान को दिनांक 18.09.2026 को प्रातः 08.00 एएम पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया तथा आमदा प्राईवेट वाहन बोलेरों गाडी को मय चालक के बाद हिदायत रवाना किया गया तथा ब्यूरो मुख्यालय उच्चाधिकारियों द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज को अति-आवश्यक गोपनीय कार्य से दो-तीन दिन के लिये अभी इसी समय भरतपुर जाने हेतु निदेशित किया जाने पर परिवादी को जरिये दूरभाष अग्रिम ट्रेप की कार्यवाही तीन-चार रोज बाद दिनांक 22.09.2026 को किये जाने एवं उक्त दिनांक को संदिग्ध आरोपी स्टोर कीपर जगदीश की उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त कर सूचना देने एवं उक्त दिनांक को कस्वा हिण्डौन सिटी में रीको स्थित एईएन कार्यालय ए-द्वितीय विधुत विभाग के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे मिलने हेतु पाबन्द कर तथा दोनो गवाहों को भी दिनांक 22.09.2026 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में आने के लिये पाबन्द किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक निर्देशित दीगर कार सरकार में व्यस्त हुआ तथा दिनांक 21.09.2026 को समय 05.35 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री बीपी सिंह से जरिये व्हाटस-एप कॉल् सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मुझे किसी के माध्यम से जानकारी मिली है कि आरोपी जगदीश स्टोर कीपर कल दिनांक 22.09.2026 को कार्यालय में उपस्थित मिलेगा तथा वह मुझसे मांगी हुई रिश्वत राशि प्राप्त कर नया ट्रासफार्मर देगा। इस पर परिवादी बीपी सिंह को दिनांक 22.09.2026 को समय करीब 10.11 बजे के आस कस्वा हिण्डौन में ओवरब्रिज के नीचे मिलने की हिदायत दी गई तथा पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान एवं स्टाफ को दिनांक 22.09.2026 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में आने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 22.09.2026 को समय 08.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक व श्री हरि सिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये तत्पश्चात समय 09.40 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज ने दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक व श्री हरि सिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर के सामने श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं0 70 से कार्यालय की आलमारी के लॉक से दिनांक 17.09.2026 को रखी गई रिश्वती राशि 8000 रूपये फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नम्बरी नोटों के लिफाफे को सुरक्षित निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाकर समय 09.50 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार एएसआई श्री सुमेर सिंह हैड कानि. 70 मय ट्रेप बॉक्स श्री समय सिंह हैड कानि0 45 श्री विष्णु सिंह कानि0 135, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 277 श्री राकेश सिंह कानि0 268 व श्री केशव देव कानि0 600 मय सरकारी वीडियो कैमरा एवं सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित आदि सामग्री को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी से मय चालक बृजेश कुमार के एवं आमदा प्राईवेट वाहन से मय प्राईवेट चालक के एसीबी कार्यालय करौली से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब कस्वा हिण्डौन सिटी के लिये रवाना हुआ। तथा श्री बृजेशकुमार कानि0 461 व श्री भीकम सिंह कानि0 363 को निर्धारित स्थान ओबरब्रिज के नीचे कस्वा हिण्डौन सिटी में

मिलने हेतु पाबन्द किया गया और चौकी पर श्रीमती ममता शर्मा महिला कानि0 273 व सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 10.35 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान स्वतन्त्र गवाहान एवं जाप्ता के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कस्वा हिण्डौन सिटी में निर्धारित स्थान ओबरब्रिज के नीचे पहुंचा जहा पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री बीपी सिंह सिंह अपनी मोटरसाईकिल सहित हाथ में पॉलीथीन की थैली लिये हुये मौजूद मिला एवं साथ ही श्री बृजेश कुमार कानि0 461 व श्री भीकम सिंह कानि0 363 मौजूद मिले परिवादी श्री बीपी सिंह ने दोनों गवाहान के समक्ष बताया कि श्री जगदीश स्टोर कीपर कार्यालय एईएन ए - द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी में आ गया है और वह स्टोर रूम मौजूद है। इस पर समय 10.40 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री बीपी सिंह के सामने श्री बृजेश कुमार कानि0 चालक नम्बर 562 से ब्यूरो कार्यालय करौली के सरकारी वाहन बोलेरो गाडी के डेस्कबोर्ड में रखी हुई पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि मय लिफाफा सहित बाहर निकलवाकर लिफाफे में से उक्त राशि 500-500 रू. के16 नोट कुल 8000 को बाहर निकलवाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाकर एवं नम्बरों को मिलान कराकर कानि0 चालक श्री बृजेश कुमार से उक्त राशि के नोटों को उपर-नीचे करवाकर परिवादी श्री बीपी सिंह की गवाह श्री मनोज कुमार से उसके हाथ सैम्पू साबुन से साफ कराकर जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास हाथ में कागजात रखी पॉलीथीन की थैली एवं मोटरसाईकिल की चाबी के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं छोडी जाकर परिवादी के बदन पर पहनी हुई पेंन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में पाउडरयुक्त राशि 8000 रूपये सावधानीपूर्वक रखवाकर परिवादी को पूर्वानुसार मुनासिब हिदायत दी गई और उक्त लिफाफा को जलवाकर नष्ट करवाया गया एवं बृजेश कुमार कानि0 चालक के हाथ सैम्पू साबुन व पानी से साफ करवाये गये तथा वक्त लेन-देन के समय आरोपी की वार्ता को टेप रिकॉर्ड करने के लिए विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड के फोल्डर नम्बर 01 के दो फाईलों में दिनांक 17.09.2026 की असम्बन्धित वार्ता रिकॉर्ड है को बाद समझाईस परिवादी श्री बीपी सिंह को सुपुर्द किया जाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट की बायी साईड की जेब में रखवाया गया तत्पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों गवाहान परिवादी एवं स्टाफ के हाथों को सैम्पू साबुन व पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने हाथ सैम्पू साबुन-पानी से धोये तत्पश्चात परिवादी को छोडकर सभी ट्रेप पार्टी एवं मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें मन पुलिस निरीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र एवं 500-500 के दो नोट कुल 1000 रूपये व मोबाईल फोन तथा गवाहान के पास मोबाईल फोन एवं स्टाफ के पास मोबाईल एवं विभागीय पहचान पत्र के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक सामान वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात समय 11.00 एएम पर कस्बा हिण्डौन सिटी ओवर ब्रिज के नीचे से परिवादी श्री बीपी सिंह को मय वॉईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय विधुत संबंधी कागज रखी थैली के आरोपी जगदीश स्टोर कीपर के पास कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी निजी मोटरसाईकिल से मय श्री भीकम सिंह कानि 363 को बाद हिदायत रवाना किया गया और उनके पीछे-पीछे श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 श्री विष्णु सिंह कानि 135 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज कुमार मीना वरिष्ठ सहायक को एवं उनके पीछे पीछे श्री अजय कुमार सउनि मय स्वतन्त्र गवाह श्री हरिसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर श्री समय सिंह हैड कानि 45 को पैदल पैदल रवाना किया गया तथा उनके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय हमराही शेष जाप्ता सदस्यों श्री बृजेश कुमार कानि0 461 श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 277 श्री राकेश सिंह कानि0 268 व श्री केशवदेव कानि0 600 के मय ट्रेप बौक्स लेपटोप प्रिंटर सरकारी वीडियो कैमरा आदि सामग्री के जरिये सरकारी एवं प्राइवेट वाहन के मय चालको सहित निर्धारित स्थान ओबरब्रिज के नीचे से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के पास पहुंचा जहां परिवादी हम सभी से नजर मिलाता हुआ कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के अन्दर स्टोर रुम की तरफ चला गया तथा उसके पीछे-पीछे श्री भीकम सिंह कानि 363 अन्य जाप्ता के सदस्य सुमेर सिंह हैड कानि 70 श्री विष्णु सिंह कानि 135 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज कुमार मीना वरिष्ठ सहायक श्री अजय कुमार सउनि व स्वतन्त्र गवाह श्री हरिसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर भी कार्यालय परिसर में प्रवेश कर और मौका स्थिति अनुसार खडे हो गये तथा मन पुलिस निरीक्षक शेष स्टाफ सदस्यों सहित वाहनों में चालकों को छोडा जाकर वाहनों से उतरकर मौका स्थिति अनुसार खडा होकर परिवादी के नियत ईशारे का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद स्टोर रुम की तरफ से परिवादी व उसके साथ एक व्यक्ति जिसके हाथ में कुछ कागज लगे हुये है स्टोर रुम से बाहर आये और एईएन कार्यालय के पास आकर बातें करने लगे और बात करते करते एईएन कार्यालय की साईड में पीछे की तरफ चले गये और कुछ समय बाद दोनो वापस आये जिस व्यक्ति के हाथ में कागज लगे हुये थे वह व्यक्ति एईएन कार्यालय परिसर से निकल कर पास ही स्थित मीटर लैब कार्यालय में चला गया। इसी दौरान समय 11.30 एएम पर परिवादी द्वारा सिर पर दो बार हाथ फेरकर किये गये ट्रेप के निर्धारित इशारे की सूचना जरिये भीकम सिंह कानि0 नम्बर 363 मन पुलिस निरीक्षक को प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन के परिवादी के पास पहुचा जहा पर परिवादी से वॉयस रिकाडॅर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात परिवादी ने पूछने पर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री जगदीश स्टोर कीपर ने उससे 8000 रुपये मांग कर दाहिने हाथ में लेकर अपने पहने हुये पेन्ट की दाहिनी साईड के जेब में रख लिये है और मुझसे ट्रासफार्मर देने जेईएन की इन्डेन्ट ले ली है मुझे कुछ समय बाद ट्रान्सफार्मर देने की कहकर अपने बांये हाथ में मेरी इन्डेन्ट

एवं अन्य कुछ कागजों को लेकर पास ही मीटर लेब के अन्दर चला गया है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को साथ लेकर पास ही स्थित मीटर लेब के अन्दर पहुंचा जहां मीटर लेब रुम में परिवादी द्वारा बताये हुलिया अनुसार एक व्यक्ति बांये हाथ में कुछ कागजात लिये खडा मिला तथा उसके अलावा दो व्यक्ति टेबल पर बैठकर कार्य करते हुये मिले उक्त व्यक्तियो में से बांये हाथ में कागजात लिये खडे हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने इशारा कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि यह ही जगदीश स्टोर कीपर है जिसने मुझसे अभी अभी 8000 रुपये की रिश्वत राशि लेकर पेन्ट की जेब में रखी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सामने वाले उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय दिया व मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का विभागीय परिचय पत्र निकालकर दिखाया इसी दौरान जेब में रखे हुये 500-500 के दो नोट कुल 1000 रुपये परिचय पत्र के साथ नीचे गिर गये। परिचय देकर सामने वाले व्यक्ति से उसका परिचय पूछने पर उक्त व्यक्ति भागने का असफल प्रयास करने लगा जिसको जाप्ता के सहयोग से रोककर उसका दाहिना हाथ श्री विष्णु सिंह कानि 135 से तथा बायां हाथ श्री अजय कुमार सउनि से कलाइयों के उपर से पकडवाये गये तथा बांये हाथ में लगे कागजातो को टेबल पर सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात हाथ पकडी हुई स्थिति में उससे पुनः तसल्ली देते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश बैरवा पुत्र श्री हरिराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी नांगल शेरपुर पुलिस थाना बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल टेक्निशियन प्रथम सहायक स्टोर कीपर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी जिला करौली होना बताया तथा टेबल पर बैठकर कार्य करते मिले दो अन्य व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछे तो उनमें से एक ने अपना नाम सत्यभान पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी कोटरा हरिराम पुरा पुलिस थाना सूरौठ जिला करौली हाल हेल्पर प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता मीटर लैब हिण्डौन जिला करौली तथा दूसरे ने अपना नाम रामवीर सिंह पुत्र यादराम जाति जाट निवासी रेवई पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी हाल हेल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता मीटर लैब हिण्डौन जिला करौली होना बताया तथा पूछने पर दोनो के द्वारा मीटर लैब कार्यालय में पदस्थापित होना एवं राजकार्य करना बताते हुये उक्त जगदीश बैरवा स्टोर कीपर का लैब में मीटर लेने आना बताया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर से परिवादी श्री बीपी सिंह से दिनांक 16.09.2026 को जले ट्रान्सफार्मर के स्थान पर नया ट्रान्सफार्मर देने के बदले 9000 रुपये रिश्वत की मांग कर 8000 रुपये लेने पर राजी होने एवं उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 22.09.2026 को परिवादी से प्राप्त की गई 8000 रुपये की राशि को प्राप्त करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने इस बीपी सिंह से नया ट्रान्सफार्मर देने के बदले कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई है और ना ही प्राप्त की है। इस बीपी सिंह ने आज जबरदस्ती 8000 रुपये मुझे दिये है। बीपी सिंह का मेरे पास कोई काम बकाया नहीं है इसको मैने ट्रान्सफार्मर देने से पहले लोड बढाने की 4250 रुपये की रसीद कटाने की कहा था। रसीद कटने एवं रिक्वायरमेन्ट आने के बाद डीएन (डिमाण्ड नोटिस) निकलता जिसकी भी रसीद कटती है जो डीएन पर डिपेन्ड करती है। उसके बाद ही ट्रान्सफार्मर दिया जाता है। मेरे द्वारा बीपी सिंह से लिये गये 8000 रुपये रिश्वत के नही बल्कि रसीद कटवाने के लिये है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी बीपी सिंह ने पूछने पर आरोपी जगदीश बैरवा स्टोर कीपर के कथनों का झूठा होना बताते हुए बताया कि इन्होने मुझसे मेरे विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 16290165 पर लगे हुये विधुत ट्रान्सफार्मर को जलने पर नियमानुसार स्टोर में जमा कराने पर उसके स्थान पर नया ट्रान्सफार्मर 10 किलोवाट का देने की एवज में 9000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी और दिनांक 16.09.2026 को सत्यापन के समय इन्होने मुझसे 9000 रुपये की मांग कर8000 रुपये मेरे निवेदन करने पर लेने पर राजी होकर आज दिनांक 22.09.2026 को इन्होने मुझे स्टोर रुम से साथ लेकर एईएन कार्यालय के पास आकर उसके पीछे मुझसे मांग कर 8000 रुपये दाहिने हाथ से लेकर पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये और आज ही ट्रान्सफार्मर देने की कहकर ये मीटर लेब की तरफ चला गया उस समय इनके बांये हाथ में कुछ कागज लगे हुये थे रूपये लेने के बाद मैने आप द्वारा बताया गया इशारा कर दिया। जिस पर आपने इनको मीटर लेब के अन्दर पकड लिया। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के बारे में एक बार पुनः आरोपी जगदीश बैरवा से पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई। तत्पश्चात आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर से परिवादी से प्राप्त की गई 8000 रुपये की रिश्वत राशि कहां है के बारे मे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया इस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार स्वतन्त्र गवाह श्री हरिसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर से आरोपी की पहनी हुई पेन्ट बंरग ग्रे कलर की सामने की दाहिनी साइड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अन्दर एक 500-500 रुपये के नोटो की मुडी हुई गड्डी व एक कीपेड मोबाईल लावा कम्पनी का व एक सफल जर्दा की पुडिया मिली जिनको बाहर निकलवाया जाकर उक्त राशि 500-500 रुपये के नोटों को उक्त गवाह से गिनवाया गया तो 500-500 के 16 नोट कुल 8000 रुपये मिले जिनके नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले जिन्हे श्री हरिसिंह मीणा स्वतन्त्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया इसके बाद श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 से ट्रेप बॉक्स वाहन से निकलवाकर मंगवाया गया और श्री समय सिंह हैड कानि45 से मीटर लेब कार्यालय से पानी भरा हुआ केम्पर मंगवाया जाकर केम्पर में से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरवाया गया तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों को श्री अजय कुमार एएसआई से निकलवाकर उनमें स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक से प्लास्टिक की बोतल में

से साफ पानी भरवाया जाकर उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री मनोज कुमार मीणा से डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क-RH-1 व RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कkaच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद आरोपी जगदीश बैरवा से हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने का कारण पूछा तो उसने कोई जबाब नहीं दिया तत्पश्चात गवाह श्री हरिसिंह मीणा सहायक प्रोग्रामर के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई हुई आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर के कब्जे से उसके पहने हुये पैन्ट की दाहिनी साईड की जेब में मिली रिश्वत राशि 8000 रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया जिनका विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 16 नोट कुल राशि 8000 रुपये के नम्बरो का पुनः फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले जिन्हें एक सफेद कागज की चिट के साथ शील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बरंग ग्रे कलर को बदन से उतरवाकर तथा कार्यालय कर्मी से नया लोअर मंगवाया जाकर पहनवाया गया तथा उतारे हुये पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब को छोडकर अन्य जेबों की तलाशी गवाह श्री मनोज कुमार मीणा से लिवाई गई तो बांयी साइड की जेब में 150 रुपये मिले के अलावा अन्य कोई सामान नहीं मिला तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें श्री अजय कुमार सउनि से पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर गवाह श्री मनोज कुमार मीणा से उसके हाथ साफ कराने के बाद घोल मिलवाया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा उक्त रंगहीन घोल में आरोपी के बदन से उतरवाई हुई पेन्ट बंरग ग्रे कलर की दाहिनी साईड की जेब जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई को गवाह श्री मनोज कुमार मीणा से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी संबंधितों को दिखाकर उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-2 भरवाकर सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई दांहिनी साईड की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट बंरग ग्रे कलर जिसकी दाहिनी साईड की पीछे की जेब के उपर सिटीजन लिखा टैग लगा हुआ है को कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क- P अंकित कर थैली के उपर गवाहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया इसी दौरान कार्यवाही स्थल पर टेबल के नीचे पडे मिले 500-500 के दो नोट कुल 1000 रुपये जो मन पुलिस की जेब से वक्त परिचय पत्र निकालते समय निकलकर गिर गये थे को सभी की उपस्थिति में स्वयं के होने से स्वंय के पास रखा गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन के समय की रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी जगदीश बैरवा के बांये हाथ में रखे मिले कागजात जो टेबल पर रखवाये हुये थे को गवाहान परिवादी व स्वयं आरोपी के सामने चैक किया गया तो ट्रांसफार्मर फेलयर रिपोर्ट सहायक अभियन्ता (ए-द्वितीय) जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी एवं कनिष्ठ अभियन्ता (आर) जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के हस्ताक्षर शुदा प्रपत्र की खाली एक मूल प्रति व उसकी 11 फोटो प्रति एवं एक ट्रांसफार्मर फेलयर रिपोर्ट सहायक अभियन्ता (ए-द्वितीय) जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी एवं कनिष्ठ अभियन्ता (आर)/सिटी जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र की मूल प्रति एवं परिवादी बीपी सिंह के नाम की नया ट्रासफार्मर देने की मनीषा मीना जेईएन की हस्ताक्षर युक्त इन्डेन्ट नम्बर-000431 दिनांक 18.09.2026 की मूल प्रति मिली के बारे में आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर से पूछा गया तो बताया कि ट्रासफार्मर फेलयर रिपोर्ट के एईएन व जेईएन के हस्ताक्षर शुदा खाली प्रपत्र ट्रासफार्मरों की डिटेल लिखने के लिये रखे है जो डिटेल लिखने के बाद चैक करते है तथा इन्डेन्ट बीपी सिंह ने आज मुझको दी है वांछित दस्तावेजों को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया । इसके बाद आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर से परिवादी बीपी सिंह के विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 16290165 पर जले हुये ट्रान्सफार्मर के बदले नया ट्रान्सफार्मर देने से सम्बन्धित रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो उसने में होना बताया। जिसको स्टोर रुम से पृथक से जप्त किया जावेगा एवं आरोपी की पेन्ट की जेब से मिले की पेड मोबाईल में लगी सिम

के बारे में पूछने पर आरोपी ने वोडाफोन सिम नम्बर लगी बताई को मोबाईल सहित एवं सफल जर्दा की पुडिया एवं 150 रूपयों को आरोपी के कहे अनुसार उसके मौके पर आये परिचित श्री इन्द्रेश कुमार गार्ड (रैक्सो कम्पनी) कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी जिला करौली(मो. नम्बर को सुपुर्द किया गया। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया तो नही है इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ पैन्ट की जेब की धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा में जरिये केशव देव कानि0 नम्बर 600 कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जावेगी एवं उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की शीशियां पेंट के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की नमूना सील नं. 38 का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें इसके बाद आरोपी श्री जगदीश बैरवा टेक्नीशियन प्रथम (सहायक स्टोर कीपर) का सेवा विवरण प्रोफार्मा में एवं स्टोर में कार्य करने के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के लिए सहायक अभियंता ए द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी को पृथक से पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 22.09.2026 जारी कर जरिये विशेष वाहक श्री बृजेश कुमार कानि. नं. 461 के भिजवाया जाकर सहायक अभियंता ए द्वितीय के पत्रांक 1127 दिनांक 22.09.2026 से आरोपी जगदीश बैरवा का प्रोफार्मा में सेवा विवरण प्राप्त किया गया तथा स्टोर में कार्य करने का आदेश की प्रति कार्यालय में उपलब्ध नही होने से प्राप्त नही हो सकी। प्राप्त सेवा विवरण को मय पत्र के शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर द्वारा परिवादी के विधुत ट्रासफार्मर से सम्बन्धित रिकॉर्ड स्टोर रूम में होना बताया जाने पर श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70 को मय श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 के वांछित रिकॉर्ड तलब कर लेने के लिये कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी व उक्त कार्यालय स्थित स्टोर रूम के लिये रवाना किया गया जो बिना रिकॉर्ड तलब किये वापस आये एवं मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि एईएन ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी कार्यालय के स्टोर रूम का ताला लगा हुआ है एवं एईएन कार्यालय भी खाली है कोई अधिकारी मौजूद नहीं है जिस पर श्री मुकेश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के मोबाईल नम्बर एवं अरबिन्द गुप्ता सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के मो0 नम्बर एवं स्टोर कीपर श्री घनेश के मोबाईल नम्बर पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मो. नं. से वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध बाबत कॉल किये गये तो सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय एवं स्टोर कीपर घनेश के मो0 नम्बर बन्द मिले तथा अधिशाषी अभियन्ता से वार्ता हुई तो उन्होने बताया कि स्टोर कीपर श्री धनेश व एईएन अरविन्द गुप्ता दोनो के एवं अन्य जेईएनों के मोबाईल बन्द आ रहे है सम्पर्क नहीं हो रहा है उसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी को हालातों का विवरण अंकित कर वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिये पृथक से पत्र क्रमांक एसपीएल दिनांक 22.09.2026 जारी कर जरिये विशेष वाहक भिजवाया जाकर रिसिप्ड प्राप्त की गई इसके बाद समय 05.13 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी श्री बीपी सिंह की निषादेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय 05.50 पी.एम. पर आरोपी श्री जगदीश बैरवा टैक्निशियन प्रथम (सहायक स्टोर कीपर) को बाद चैक लिस्ट जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018 में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी स्वंतन्त्र गवाह से लिवाई गई तो तलाशी में पहने हुये कपडों के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से उसके जीजा श्री प्रेमचन्द को जरिये दूरभाष दी गई जिसके संबंध में नोटिस अन्तर्गत धारा 47-48 बीएनएसएस मुर्तिब किया गया इसके बाद समय 06.25 पीएम पर श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 को कार्यालय एईएन ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी से दिनांक 23.09.2026 को कार्यालय खुलने पर परिवादी के विधुत ट्रासफार्मर कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब कर लेकर ब्यूरो कार्यालय करौली आने हेतु पाबन्द कर हिण्डौन सिटी में छोडा जाकर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय परिवादी बीपी सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जगदीश बैरवा सहायक स्टोर कीपर व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत आर्टिकल्सों/सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स लेपटोप प्रिंटर सरकारी बीडियो कैमरा वॉयस रिकॉर्डर आदि के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल कार्यालय एईएन- द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी/मीटर लेब से रवाना होकर समय 07.20 पीएम पर एसीबी कार्यालय करौली पहुंचा जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल यथा रिश्वत राशि धोवन की सील्ड शीषीयों पैन्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये सुमेर सिंह मुख्य आरक्षक नं.70 करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी को खाना खिलाकर जाप्ता की निगरानी में जिला चिकित्सालय करौली भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर पुलिस थाना सदर करौली में बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात समय 10.00 पीएम पर परिवादी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें वक्त कार्यवाही दिनांक 17.09.2026 की असम्बन्धित वार्ता एवं दिनांक 22.09.2026 की आरोपी जगदीश बैरवा टैक्निशियन प्रथम सहायक स्टोर कीपर व परिवादी बीपी सिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में सरकारी लेपटॉप से चलाकर

कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर हिन्दी रूपान्तरण श्री केशव देव कानि0 600 से तैयार कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135 से टाईप कराई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये तथा श्री केशव देव कानि0 नं. 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईवों की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्कबी -2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड सेंडिस्क 16 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क बी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई. ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी -3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों एवं मैमोरी कार्ड को मालखाना इन्चार्ज श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं0 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा दिनांक 23.09.2026 को समय 02.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये केशव देव कानि0 नम्बर 600 सरकारी बीडियो कैमरा में करवाई गई रिश्वत बरामदगी व हाथ पेन्ट की जेब धुलाई सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली सैनडिस्क 32 जीबी पैनड्राईवों में जरिये कानि0 केशव देव नम्बर 600 लैपटोप की मदद से संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान तीनों पैनड्राईवों को कवरों में सुरक्षित रखवाकर पर मार्क VD-1 (न्यायालय प्रति) VD-2 (मुल्जिम प्रति) VD-3 (आईओ प्रति) अंकित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा पैनड्राईव मार्क VD-1 एंव VD-2 को कवर सहित कपडे की थैलियों में अलग अलग सील्ड मोहर कर थैलियों पर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क VD-3 आईओ प्रति को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया तथा वीडियो कैमरा की मैमोरी में सेव उक्त वीडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाया गया जिसकी फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों को मालखाना इन्चार्ज श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं. 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं. (38) को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूनाशील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस 38 अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया जिसकी फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त आर्टिकल को जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना सदर करौली भेजकर गिरफतार शुदा आरोपी श्री जगदीश बैरवा टैक्निशियन प्रथम (सहायक स्टोर कीपर) को थाना सदर करौली हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया तथा नकल रपट रोजनामचाआम को शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात आरोपी श्री जगदीश बैरवा टैक्निशियन प्रथम(सहायक स्टोर कीपर) से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया इसके बाद समय 12.10 पीएम पर श्री बृजेश कुमार कानि0 नं. 461 कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी से मय श्री गोरव कुमार स्वर्णकार कनिष्ठ अभियन्ता शहर जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी के परिवादी श्री बीपी सिंह के विधुत ट्रासफार्मर कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड सहित लेकर ब्यूरो कार्यालय करौली में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुये तथा वांछित रिकॉर्ड पेश करने की कहने पर श्री गोरव कुमार स्वर्णकार कनिष्ठ अभियन्ता ने दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने परिवादी के विधुत कनेक्शन खाता सं. 16290165 से सम्बन्धित रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी जिला करौली के स्टोर रूम पर लगे ताले को अधिशाषी अभियन्ता श्री मुकेश गुप्ता की उपस्थिति एवं उनके निर्देश पर कार्यालय में मौजूद कार्मिकों से तुडवाकर उसके अन्दर से लेकर आकर पेश की जिनको बाद अवलोकन पेज 01 लगायत 05 तक क्रमांकित कराकर उक्त रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां को कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमाणित कराकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते बजह सबूत जरिये फर्द जप्ति जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये ताबाद कनिष्ठ अभियन्ता को कार्यालय से रूकसत किया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहों एवं परिवादी को एवं आमदा प्राईवेट वाहन को मय चालक के बाद हिदायत कार्यालय से समय 01.00 पीएम पर रूखसत किया गया तथा गिरफ्तार आरोपी जगदीश बैरवा टैक्निशियन प्रथम(सहायक स्टोर कीपर) को खाना खिलाकर मुलाजमानों की निगरानी में कार्यालय में रखा गया जिसे अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय भ्र.नि. अधिनियम भरतपुर में पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी जगदीश बैरवा पुत्र श्री हरिराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी नांगल शेरपुर पुलिस थाना बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवास

चूली रोड नयापुरा गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर हाल टैक्निशियन प्रथम सहायक स्टोर कीपर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी श्री बीपी सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह जाति-जाट उम्र 32 वर्ष निवासी खीपकापुरा तहसील व थाना सूरोठ़ जिला करौली से उसके विधुत कनेक्शन खाता संख्या 16290165 पर लगे हुये विधुत ट्रांसफार्मर के जल जाने पर स्टोर में जमा कराने पर उसके स्थान पर नया ट्रासफार्मर स्टोर से ईश्यू कर देने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 16.09.2026 को 9000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के निवेदन पर 8000 रूपये लेने पर सहमत होकर उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 22.09.2026 को 8000 रुपये प्राप्त करना जो उसके कब्जे से उसके पहने हुये पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब के अन्दर से बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी जिला करौली के स्टोर रूम से जरिये श्री गौरव कुमार स्वर्णकार कनिष्ठ अभियन्ता (शहर) प्राप्त होना पाया गया है। अतः श्री जगदीश बैरवा पुत्र श्री हरिराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी नांगल शेरपुर पुलिस थाना बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवास चूली रोड नयापुरा गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर हाल टैक्निशियन प्रथम सहायक स्टोर कीपर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली........कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगदीश बैरवा पुत्र श्री हरिराम बैरवा, जाति बैरवा उम्र 39 साल, निवासी नांगल शेरपुर, पुलिस थाना बालघाट, तहसील टोडाभीम, जिला करौली हाल निवास चूली रोड, नयापुरा, गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर, हाल टैक्निशियन प्रथम, सहायक स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितीय, जयपुर डिस्कॉम हिण्डौन सिटी, जिला करौली विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 338 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1558-61 दिनांक 24-09-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- अधीक्षण अभियंता (ओ.एण्ड.एम.) जयपुर डिस्कॉम, करौली 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/09/2026 17:57:21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)